

August 08, 2023

BSE Ltd.	National Stock Exchange of India Limited (NSE).
P J Towers, Dalal Street,	Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra
FortMumbai – 400001	East, Mumbai – 400051
	, in the second
Scrip Code: 543272	Symbol: EASEMYTRIP

Subject: NewsPaper Publication for Dispatch of Postal Ballot Notice

Dear Sir/Madam,

In continuance of our letter dated August 07, 2023 and pursuant to provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the newspaper clippings regarding publication of the Postal Ballot Notice of the Company, published in Financial Express (English) and Jan Satta (Hindi) on August 08, 2023 are enclosed.

Kindly take the same on your record.

For Easy Trip Planners Limited

PRIYANKA

TIWARI

Digitally signed by PRIYANKA TIWARI Date: 2023.08.08 12:31:50

Priyanka Tiwari

Company Secretary and Chief Compliance Officer

Membership No.: A50412

Easy Trip Planners Ltd.

Registered office: Building No. - 223, Patparganj Industrial Area, New Delhi - 110092 (India)























FINANCIAL EXPRESS

For 75% of Indians, tech a threat to jobs

IT disruptions across sectors as employees look at skill upgrade

BISWAJIBAN SHARMA New Delhi, August 7

THREE OUT OF every four Indians worry that technology may eventually replace their jobs if they do not continue to advance their skill set. The professionals in healthcare, manufacturing, software & IT services, banking & insurance, and, to a lesser extent, software are most worried about technology taking their jobs away, a study released on Monday showed.

According to Emeritus Global Workplace Skills Study 2023, released by professional courses and services platform Emeritus, digital marketing, data analytics, finance, management and artificial intelligence (AI) are among the most soughtafter topics for professionals.

The study was based on a surveyof 1,720 professionals across 20tier-1 and tier-2 cities in India aged between 25-65 years.

According to the study, tech disruption across sectors is evident through professionals from across sectors taking a keen



■ Manufacturing, healthcare, software & IT services, banking & insurance are most worried about technology taking their jobs away

■ The Emeritus Global Workplace Skills Study was based on a survey of 1,720 professionals across 20 tier-1 and tier-2 cities in India aged between 25-65 years

interest in improving their hold on technology.

While 94% of software and IT professionals and 93% of thoseworking in technology and innovation are interested in upskilling around tech subjects, 86% of manufacturing sector professionals also showed an interest in learning how they can leverage technology tools.

Among those in professional services and consulting, the interest for pursuing higher education stood at 85%. For those in software and IT services, it stood at 77%. About 76% of professionals in manufacturing also took to further education to stay resilient against global changes.

The key motives for Indian techies to upskill were the need to increase self-confidence, increase their job security and enhance their skill sets. Moreover, about 80% of the respondents said they would be more loyal to their employer if they invested in continued education.

Russia's first moon mission since 1976 in race with Chandrayaan-3

RUSSIA WILL LAUNCH its first lunar landing spacecraft in 47 years on Friday in a race with India to the south pole of the moon, a potential source of water to support a future human presence there.

The launch from the Vostochny cosmodrome, 3,450 miles (5,550 km) east of Moscow, will take place four weeks after India sent up its Chandrayaan-3 lunar lander, due to touch down at the pole on

August 23. Rough terrain makes a landing there difficult, but the south pole is a prized destination because scientists believe it may hold significant quantities of ice that could be used to extract fuel and oxygen, as well as for drinking water.

Russian space agency Roscosmos said in reply to questions from *Reuters* that its Luna-25 spacecraft would take five days to fly to the moon and then spend five to seven days in lunar orbit

before descending on one of three possible landing sites near the pole-a timetable that implies it could match or narrowly beat its Indian rival to the moon's surface. Roscosmos said the two missions would not get in each other's way because they have different landing areas planned.

"There is no danger that they interfere with each other or collide. There is enough space for everyone on the moon,"it said. - REUTERS

EXPLAINER

ENDING POLYGAMY: THE ASSAM ROUTE

Assam chief minister Himanta Biswa Sarma announced last week that the state government will bring a Bill in the next Assembly session to ban polygamy. An expert panel led by a former high court judge has upheld the legislative competence of the state Assembly to enact such a law. We take a look at the polygamy debate and what the panel has said



India and polygamy

POLYGAMY IS HAVING more than one marital partner concurrently. If a woman has more than one husband, it is polyandry, and if a man has more than one wife, it is polygyny. Polygamy, in India, is mainly understood as polygyny, which was common across communities earlier.

It was abolished for the Hindus, Sikhs, Buddhists and Jains under the Hindu Marriage Act 1955; for Christians, under the Christian Marriage Act 1872; and for Parsis under the Parsi Marriage and Divorce Act 1936. However, it has legal protection for Muslims under the Muslim Personal Laws Act 1937. As per Section 494 of the IPC, polygamy by a person from a community for which it has been outlawed can attract up to seven years of imprisonment. However, those deserted by their spouses for seven years or more are exempt.

1955

HINDU MARRIAGE ACT **BANS POLYGAMY FOR** HINDUS, SIKHS

Marriage

A SUBJECT IN THE CONCURRENTLIST OF THE CONSTITUTION

Prevalence **AMONG CHRISTIANS 2.1%**

1.9% AMONG MUSLIMS & 1.3% AMONG HINDUS

40 districts

WITH HIGH POLYGYNY **DOMINATED BY TRIBALS**

Marriage under Concurrent List

MARRIAGE AND DIVORCE is listed under the Concurrent List in the Seventh Schedule of the Constitution — both the Centre and the state governments can legislate on the subject. But, the Doctrine of Repugnancy under the Article 254 of the Constitution applies to state laws on Concurrent List subjects. That is, if there is an inconsistency between the Union law and the state law on a subject, then the Union law will prevail unless, under Clause 2 of Article 254, the state law receives the president's assent.

Under the Hindu Marriage Act 1955, a marriage is possible "if neither party has a spouse living at the time of the marriage". Yet, Goa provides for bigamy among Hindus, under its own Uniform Civil Code. The Codes of Usages and Customs of Gentile Hindus of Goa — under the UCC umbrella — sets specific conditions under which a Hindu male resident of the state can have more than one wife.

Uniform Civil Code

THE 22ND LAW Commission has invited feedback from the public on a Uniform Civil Code at the central level, and it remains a top priority for the present dispensation, with even

the PM pushing for it.

in Part IV of the

Article 44, contained

Constitution, says that the State should "endeavour to secure for the citizens a uniform civil code". While the Directive Principles of State Policy (Part IV) are not enforceable by the courts, they form the compass envisioned by the makers of the Constitution to guide the Indian State. So, it is not surprising that the Supreme Court has upheld the idea in many of its judgements—Shah Bano (1985) or Sarla Mudgal (1995). In Sarla Mudgal, the SC said UCC can take shape only if "statesmen amongst leaders who instead of gaining personal mileage rise above and awaken the masses to accept the change".

Under UCC, it is assumed that polygamy laws will be harmonised across coummunities towards abolition.

What the Assam expert panel has said

IN MAY, ASSAM CM Himanta Biswa Sarma announced his government's intention to end polygamy in the state and said an expert panel would be formed to examine whether the state Assembly had the legislative competence to enact such a law. Even at the Union level, banning the triple talag needed a special

law to override the protection granted to it under the Muslim personal laws.

The Assam committee, headed by retired judge Rumi Kumari Phukan, says that "It is the considered and unanimous opinion... of the expert committee that Assam has the legislative competence to enact

a law to end polygamy", subject to presidential assent under the Doctrine of Repugnancy provisions. It held that abolishing polygamy was an imperative as it violated the fundamental rights of Muslim women. Further, it held that the practice was permitted under Muslim personal law but not compulsory, and was not in

the nature of an essential practice in the religion and, therefore "will not offend Article 25 (right to practice, profess and propagate religion) of the Constitution".

Uttarakhand has readied a draft of Uniform Civil Code for the state and the CM expects it to be enacted soon.



Note: Please visit www.welspuncorp.com for full financial results of Welspun Corp Limited.

SINTEX-BAPL LIMITED Unaudited consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2023 ₹ In Crore Q1 FY24 **Particulars** 146 **Total Income** 15 **EBITDA EBITDA Margin** 10.6% PAT 7 **Cash Profit** 12

SINTEX-BAPL LIMITED IS A 100% OWNED SUBSIDIARY OF Welspun CORP

financialexp.epap.in





EASY TRIP PLANNERS LIMTIED

CIN: L63090DL2008PLC179041

Registered Office: 223, FIE Patparganj Industrial Area Delhi 110092, India Website - www.EaseMyTrip.com | email - emt.secretarial@easemytrip.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provision of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (cumulatively "Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulation"), Secretarial Standards-2 issued by the Institute of Companies Secretaries of India and other applicable laws and regulations, if any, including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force, Easy Trip Planners Limited ("the Company") is seeking approval from its members via passing of Resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated August 07, 2023 ("Postal Ballot Notice") by way of electronic voting ("e-voting/remote e-voting") only.

In terms of the relevant provisions of the Act and in accordance with the guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs, inter-alia, for conducting Postal Ballot through e-voting vide General Circulars Nos. 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021, 20/2021, 03/2022 and 11/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, June 15, 2020, September 28, 2020, December 31, 2020, June 23, 2021, December 08, 2021, May 5, 2022 and December 28, 2022 respectively and any other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), the process of sending the Postal Ballot Notice along with the instructions regarding remote e-voting through email to all those members, whose email address is registered with the Company or with the Depositories/ Depository Participants or M/s. KFin Technologies Limited ("KFintech"), Registrar and Share Transfer Agents ("R&TA") and whose names appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners as on Friday, August 04, 2023 ("Cut-off Date"), has completed on August 07, 2023. A person who is not a member as on the Cut-off Date should accordingly treat the Postal Ballot Notice for the information purpose only.

Members may note that in compliance with the requirements of MCA circulars, physical copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business envelope will not be sent to the members for this Postal Ballot and members are required to communicate their assent and dissent through the e-voting system only.

Members are hereby informed that:

Telangana].

Place: Delhi

Date: August 07, 2023

- The e-voting period shall commence on Tuesday, August 08, 2023 (09:00 A.M. IST) and ends Wednesday, September 06, 2023 (5.00 P.M. IST) (both days inclusive) for all the members holding shares in physical form or demat form. The e-voting module shall be disabled by Kfintech for the voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date.
- 2. A person whose name appears in the Register of Members or in the register of Beneficial Owners maintained by depositories as on the Cut-off date i.e. Friday, August 04, 2023, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.
- 3. The Company has appointed Mrs. Manisha Gupta [CP No.: 6808], Proprietor of M/s. Manisha Gupta & Associates, Practising Company Secretaries, New Delhi as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- 4. The result of the Postal Ballot/e-voting will be declared on or before Friday, September 08, 2023 at Corporate Office of the Company by the Chairman and CEO or any other person authorized by him on that behalf. The result along with the scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company and on KFintech and communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

If you have not registered your email address with the Company/ Depository, you may please follow the below instructions:

- Physical Members please provide the necessary details like Folio No., Name of member, scanned copy of share certificate (front and back), PAN (self-attested copy of PAN card), AADHAR (self-attested copy of AADHAR card) via email to the Company at emt.secretarial@easemytrip.com and/or RTA email at einward.ris@kfintech.com.
- Demat Members Please update your email id and mobile no. with your respective Depository Participant (DP).

Post successful registration of the email, the Members would get a soft copy of the notice and the procedure for e-voting along with the User ID and Password to enable e-voting for this Postal Ballot. In case of any queries, member may write to einward.ris@kfintech.com. For Further details, kindly refer to the Notice of Postal Ballot.

The Notice is also available on the Company's website (www.easemytrip.com), Stock Exchanges' website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the service provider i.e., KFintech's website (https://evoting.kfintech.com/). In case of any query or issues regarding e-voting from the KFintech e-voting system, you can write an email to evoting@kfintech.com or

contact at toll free number 1-800-309-4001 All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Umesh Pandey, Manager of [KFin Technologies Limited, Selenium, Tower B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandai, Hyderabad-500 032,

New Delhi

For Easy Trip Planners Limited

Priyanka Tiwari

Group Company Secretary and Chief Compliance Officer



की जाती हैं।

1700 बजे तक है।

पंजाब नेष्ट्रांनल बेंक 🧶 punjab national bank

सामान्य सेवाएं प्रशासन प्रभाग, प्रधान कार्यालय

प्लॉट संख्या-4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075

ई-निविदा सुचना

कुर्सियों की मरम्मत, मंच के नवीनीकरण, दीवार पैनलिंग और कालीन के प्रतिस्थापन

र्क साथ-साथ स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज दिल्ली में विविध सिविल मरम्मत कार्यों सहित

ऑंडिटोरियम के नवीनीकरण के कार्य के लिए पात्र ठेकेदारों से ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित

परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹51 लाख (जीएसटी सहित) है। निविदा डाउनलोड

करने, बोली तैयार करने और हैश जमा करने की अंतिम तिथि और समय 22 अगस्त 2023,

उपरोक्त कार्य के संबंध में कोई भी शुद्धिपत्र/ स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट https://pnbindia.in

और https://etender.pnbnet.in पर जारी किया जाएगा, जिसे नियमित रूप से देखा जा

मुख्य प्रबंधक - सिविल

(अचल सम्पत्ति हेत्)(नियम 8(1) देखें) जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ बड़ौदा, का प्राधिकत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार मैसर्स क्रिस्पी बाइट्स इसके पार्टनर द्वारा श्री राहल भटनागर और श्रीमती मोनिका भटनागर, पताः सी–373, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034 और गारंटर और बंधककर्ता श्रीमती रनेह लता भटनागर पत्नी श्री आलोक भटनागर, सी-152, निर्माण विहार, दिल्ली—110092 को दिनांक 13.06.2022 को मांग सूचना जारी किया था जिसमें सचना में उल्लेखित राशि रु. 1.88.10.231.00 (रु. एक करोड अद्रासी लाख दस हजार दो सी इकतीस मात्र) दिनांक 13.06.2022 तक (दिनांक 13.06.2022 तक ब्याज सहित) और दिनांक 14.06.2022 से भविष्य का व्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि तक उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भूगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक / गारंटर तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 05.08.2023 को लिया है।

ऋणधारक / गारंटर राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्वारा

विशेष रूप से ऋणधारक तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति और स्थायी आस्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ़ बड़ौदा, जेडओएसएआरबी, चौथा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, दिल्ली—110008 के प्रमार वास्ते रु. 1,88,10,231.00 (रु. एक करोड अद्वासी लाख दस हजार दो सी इकतीस मात्र) दिनांक 13.06.2022 तक (दिनांक 13.06.2022 तक ब्याज सहित) और दिनांक 14.06. 2022 से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन

(ऋणधारक का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।)

संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट, फ्लैट नं. 99, प्लॉट नं. 37, द्वितीय तल, शुभम् अपार्टमेंट्स, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती स्नेह लता भटनागर पत्नी श्री अलोक **भटनागर के नाम पर है।** चौहद्दी : पूरब में — खुला, पश्चिम में — रास्ता, उत्तर में — खुला, दक्षिण में – खुला

दिनांक : 05.08.2023, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

एन टी पी सी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) सीआईएनः L40101DL1975GOI007966 पंजीकृत कार्यालयः

नई दिल्ली—110003 फोन नं.: 011—24360959; फैक्स: 011—24360241 ई–मेलः ntpccc@ntpc.co.in वेबसाइटः www.ntpc.co.in 47वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में एनटीपीसी

एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, ७ इंस्टीट्युशनल एरिया, लोदी रोड

लिमिटेड के शेयरधारकों के लिए सूचना एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि सूचना दिनांक 29 जुलाई, 2023 में वर्णित कामकाज के

- निष्पादन के लिए कम्पनी के सदस्यों की 47वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 30 अगस्त, 2023 को प्रातः 10.30 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑंडियो विडियो माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा आयोजित की जाएगी। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गये लागू
- परिपत्रों के अनुसरण में 47वीं एजीएम की सूचना, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल एवं समेकित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट सहित एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी के शेयरधारकों को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर ई—मेल के माध्यम से भेज दी गई है। 47वीं एजीएम की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.ntpc.co.in और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं। सुधना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की ई-वोर्टिंग वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com/पर भी उपलब्ध होगी।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, समय-समय पर यथासंशोधित और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एव प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में कम्पनी अपने सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवा के माध्यम से एजीएम सूचना दिनांक 29 जुलाई, 2023 में निर्धारित प्रस्तावों पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिकली देने के लिए उन्हें समक्ष बनाने हेतु रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहीं है।
- रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 26 अगस्त, 2023 प्रातः 9.00 बर्ज (आईएसटी) प्रारंभ होगी और मंगलवार, 29 अगस्त, 2023 सायं 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉडयूल हटा लिया जाएगा। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद सदस्य को उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया / दिशानिर्देश एजीएम की सूचना में दिये गये हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 23 अगस्त, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार किये गर्ये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम में वोटिंग की सविधा प्राप्त करने
- कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद लेकिन कट-ऑफ तिथि को या उससे पूर्व कम्पनी का सदस्य बनता है, वह भी एजीएम की सूचना में दिये गये रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम में ई-वोटिंग के निर्देशों का पालन करके अपना वोट दे सकता है।
- रिनोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे चुका सदस्य भी वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकता है लेकिन उसे दोबारा अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी। सदस्यगण नोट करें कि एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- निदेशक मंडल ने ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए श्री सचिन अग्रवाल, पार्टनर, अग्रवाल एस. एंड एसोसिएटस या उनकी अनुपस्थिति में सुश्री गरिमा, पार्टनर, अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियक्त किया है।
- सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सचना में दिये गये रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित दिशानिर्देशों को भली-भांति पढ़ लें। किसी भी पृछताछ के लिए आप www.evoting.nsdl.com पर हेल्प सँक्शन के तहत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्य्") और ई–वोटिंग युजर मैन्अल का अवलोकन कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्रे (वरि. प्रबंधक), एनएसडीएल, चौथा तल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, ई-मेल: evoting@nsdl.co.in, फोन:
- 022-48867000 / 022-24997000 से सम्पर्क कर सकते हैं। हरित पहल का समर्थन करने के लिए सदस्यगण जिन्होंने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है या जो अपना ई-मेल पता अपडेट कराना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सभी पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित डीपी (डिमेट धारिता के लिए) या बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि. (भौतिक
- धारिता के लिए) से संपर्क करें। एनटीपीसी लि. के लिए एवं उसकी ओर से स्थानः नई दिल्ली हस्ता./-

तिथि: 06.08.2023

(अरुण कुमार)

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

कम्पनी सचिव

विद्युत क्षेत्र में अग्रणी

ई-नीलामी

प्रियंका तिवारी

OSBI

आईटी-ईपे एवं पीजी विभाग, एसबीजीआईटीसी, बेलापुर, सेक्टर 11, सी.बी.डी बेलापुर, नवी मुंबई - 400614

उपलब्ध करवाने हेतु सेवा प्रदाता की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का अनुरोध (आरएफपी) 'स्टेट बैंक डेबिट और प्रीपेड कार्ड के लिए एक्सेस कंट्रोल सर्वर (एसीएस) या जारीकर्ता

प्रमाणीकरण सर्वर (आईएएस) सेवाएं भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक डेबिट और प्रीपेड कार्ड के लिए एक्सेस कंट्रोल सर्वर (एसीएस या जारीकर्ता प्रमाणीकरण सर्वर (आईएएस) सेवाएं उपलब्ध करवाने हेत् सेवा प्रदाता की नियत्ति के लिए एक 'प्रस्ताव का अनुरोध' जारी किया है. कृपया बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi पर 'प्रोक्योरमेंट न्यूज' देखें. इच्छुक आवेदक अपने प्रत्युत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 31.08.2023 को समय 06:00 बजे तक या उससे पहले जमा

कर सकते हैं. स्थान: नवी मुंबई हस्ताक्षर/

तिथि: 08.08.2023 उप- महाप्रबंधक (आईटी-ईपे एवं पीजी)

विवरण के लिए, हमारी वेबसाइट https://etender.pnbnet.in पर जाएं

EaseMyTrip

ईजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड

सीआईएन: L63090DL2008PLC179041

पंजीकृत कार्यालय : २२३, एफ आई ई, पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली १९००९२ इंडिया वेबसाइट : www.EaseMyTrip.com । ईमेल : emt.secretarial@easemytrip.com

पोस्टल बैलट की सूचना

सदस्यों को एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, २०१४ (संचयी रूप से "अधिनियम"), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १०८ और ११० के प्रावधान और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार) २०१५, ("लिस्टिंग रेगुलेशन"), भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक -२ और अन्य लागू कानून और विनियम, यदि कोई हो, जिसमें किसी भी वैधानिक संशोधन (संशोधन) या कुछ समय के लिए उसके पुनः अधिनियमन शामिल हैं। बल, ईजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड ("कंपनी") केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("ई-वोटिंग / रिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से ०७ अगस्त, २०२३ के पोस्टल बैलेट नोटिस ("पोस्टल बैलेट नोटिस") में निर्धारित प्रस्ताव पारित करके अपने सदस्यों से अनुमोदन मांग रही है।

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सामान्य परिपत्र संख्या १४/२०२०, १७/२०२०, २२/२०२०, ३३/२०२०, ३६/२०२०, १०/२०२१, २०/२०२१, ०३/२०२२ और ११/२०२२ दिनांक ८ अप्रैल २०२०, १३ अप्रैल २०२०, १५ जुन २०२०, २८ सितम्बर २०२०, ३१ दिसम्बर २०२०, क्रमशः २३ जून, २०२१, ०८ दिसंबर, २०२१, ५ मई, २०२२ और २८ दिसंबर, २०२२ और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी कोई अन्य लागू परिपत्र ("एमसीए परिपत्र"), पोस्टल बैलेट नोटिस भेजने की प्रक्रिया के साथ साथ रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में निर्देशों के साथ ईमेल के माध्यम से उन सभी सदस्यों को, जिनका ईमेल पता कंपनी या डिपॉजिटरीधंडिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या मैसर्स के साथ पंजीकृत है। केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("KFIN या KFIntech"), कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("R&TA") और जिनके नाम शुक्रवार, 0४ अगस्त, २०२३ ("कट-ऑफ डेट") के सदस्यों के रजिस्टरध्लाभकारी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं ०७ अगस्त, २०२३ को पूरा हो गया है। एक व्यक्ति जो कट—ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, उसे तदनुसार पोस्टल बैलेट नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

सदस्य ध्यान दें कि एमसीए परिपत्रों की आवश्यकताओं के अनुपालन में, पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्री-पेड बिजनेस लिफाफे के साथ पोस्टल बैलेट नोटिस की भौतिक प्रति इस पोस्टल बैलेट के लिए सदस्यों को नहीं भेजी जाएगी और सदस्यों को अपनी सहमति और असहमति केवल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से संप्रेषित करनी

सभी सदस्यों को एतद्दवारा सचित किया जाता है कि:

9. ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार ०६ अगस्त, २०२३ को सुबह ६:०० बजे (आईएसटी) शुरू होगी और बुधवार ०६ सितंबर, २०२३ को शाम ५.०० बजे समाप्त होगी। (आईएसटी) भौतिक रूप या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों के लिए। इसके बाद मतदान के लिए केफिनटेक द्वारा ई–वीटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त समय और तिथि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

.२. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तारीख यानी शुक्रवार ०४ अगस्त, २०२३ को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

 कंपनी ने एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलेट के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में श्रीमती मनीषा गुप्ता (सदस्यता संख्याः ६३७८ एफसीएस सीओपी संख्याः ६८०८), मनीषा गुप्ता एंड एसोसिएट्स के मालिक, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, नई दिल्ली को , को नियुक्त कियाँ है

४. पोस्टल बैलेट / ई-वोटिंग का परिणाम शुक्रवार ०८ सितंबर, २०२३ को या उससे पहले कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में अध्यक्ष या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा घोषित किया जाएगा। परिणाम के साथ-साथ जांचकर्ता की रिपोर्ट को कंपनी की वेबसाइट और केफिनटेक की वेबसाइट पर रखा जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों को सुचित किया जाएगा जहां कंपनी के शेयर सुचीबद्ध हैं।

यदि आपने कंपनीधंडिपॉजिटरी में अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, तो आप कृपया नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं: भौतिक सदस्य – कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (स्व-सत्यापित) पैन कार्ड की कॉपी) आधार (स्व-सत्यापित आधार कार्ड की कॉपी) जैसे आवश्यक विवरण कंपनी को ईमेल emt.secretarial@easemytrip.com and/ or RTA ईमेल at einward.ris@kfintech.com पर प्रदान करें।

२. डीमैट सदस्य – कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपडेट करें।

ईमेल के सफल पंजीकरण के बाद, सदस्य को इस पोस्टल बैलेट के लिए ई-वोटिंग को सक्षम करने के लिए युजर आईडी और पासवर्ड के साथ नोटिस और ई-वोटिंग की प्रक्रिया की एक सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होगी। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य einward.ris@kfintech.com पर लिख सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया पोस्टल बैलेट की सूचना देखें। नोटिस कंपनी की वेबसाइट (www.easemytrip.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और सेवा प्रदाता यानी केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ("केफिनटेक") वेबसाइट (http://evoting.kfintech.com) पर भी उपलब्ध है।

यदि आपके पास Kfintech ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप evoting@kfintech.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर १--२००-३०६-४००१ पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री उमेश पांडे, प्रबंधक केंफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३९ और ३२, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – ५०० ०३२ तेलंगाना को संबोधित किया जा सकता है।

ईजी टिप प्लानर्स लिमिटेड

दिनांक : ०७ अगस्त, २०२३ जगह : दिल्ली

समृह कंपनी सचिव और मुख्य अनुपालन अधिकारी

੧ਓ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजीकृत कार्यालय का सम्पूर्ण पताः

515, चोखानी स्क्वॉयर, सेक्टर-18,

नोएडा, गौतमबुध नगर, उत्तर प्रदेश-201301

पंजाब एण्ड सिंध बैंक भारत सरकार का उपक्रम

प्रारूप ए

सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया)

विनियमन, 2017 के विनियम 14 के अधीन)

कॉर्नरस्टोन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

16 जून, 1995

सी-18, ग्रीन पार्क मेन,

नई दिल्ली - 110016

टैलीफोन: 9811505059

05 सितंबर 2023

एतद्वारा सचना दी जाती है कि कॉर्निएस्टोन सिक्योरिटीज लिमिटेड ने 07 अगस्त 2023 को स्वैच्छिक

कॉर्नरस्टोन सिक्योरिटीज लिमिटेड के हितथारकों को एतद्वारा मद 7 के सम्मुख उल्लिखित पते पर

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्टॉनिक माध्यमों से ही अपने दावों के प्रमाण जमा करेंगे । अन्य सभी पक्षकार अपने दावों

पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00305/2017-18/10863 | एएफए वैधता : 18 दिसंबर 2023 तक

GOGIA CAPITAL SERVICES LIMITED

Regd. Off.: The Capital Court, 6th Floor, Olof Palme Marg, Munirka,

New Delhi - 110 067

E-mail: compliance@gogiacap.comwebsite: www.gogiacap.com, CIN: L74899DL1994PLC059674

Corrigendum to 29th Annual Report for the FY 2022-2023

This Corrigendum is being issued with reference to our submission of 29th Annual

We have noticed typographical errors in the Report on Secretarial Audit (on page

number 2 and 22 of the Annual Report). On page number 2 and 18, we had inadvertently

mentioned name of Secretarial Auditor as "M/s Manish K and Associates, (Practising

Company Secretaries)* (who have issued Annual Secretarial Compliance Certificate

Under Regulation 24A of SEBI(LODR) Regulations, 2015) instead of M/s. Richa Dhamija

and Company (Practising Company Secretaries). Consequently, on Page No. 23 and

24, we had inadvertently mentioned name and UDIN of said auditor who had issued

Annual Secretarial Compliance Certificate Under Regulation 24A of SEBI (LODR)

Regulations, 2015) in place of our Secretarial Auditor namely M/s. Richa Dhamija and

It may be noted that the error is a typographical error and it does not impact the

financial statements of the company in any manner. As soon as the typographical

The updated Annual Report shall be available on the website of the Company at

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए

सार्वजनिक कम्पनी का प्राईवेट कम्पनी में रूपांतरण

के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय. उत्तरी क्षेत्र. नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम. 2013. कम्पनी अधिनियम. 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी

(निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में

मै. यु एस बी फाइनांसियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 515, चोखानी स्क्वॉयर,

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये

इच्छक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 29 जलाई,

2023 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके

ऊपर वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के

प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख

करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के कार्यालय : बी-

2 विंग, 2 रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be held responsible for such

contents, nor for any loss or damage incurred as a

result of transactions with companies, associations or

individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make

necessary inquiries before sending any monies or

entering into any agreements with advertisers or

otherwise acting on an advertisement in any manner

सेक्टर-18, नोएडा, गौतमबुध नगर, उत्तर प्रदेश-201301 में है, के मामले में

य एस बी फाइनांसियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिये तथा उसकी ओर से

लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छक है।

करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

नवीन कुमार गुप्ता (निदेशक)

DIN:00294881

तिथि : 7.8.2023

whatsoever.

स्थान : नोएडा

errors were noticed, necessary rectifications have been promptly executed

www.gogiacap.com at 'Investor Relations' under 'Annual Reports'.

Report under regulation 34(1) of SEBI (LODR), 2015 on 06th July, 2023.

परिसमापक के पास 05 सितंबर 2023 को या इससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए कहा जाता है।

के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

Company (Practising Company Secretaries).

जितें द्र अरोडा

कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता U74899DL1995PLC069850

कॉर्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारंभ 07 अगस्त 2023

कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम

कॉर्म्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि

प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट

व्यक्ति निगमित / पंजीकृत है

पहचान कॉर्पोरेट लोगों की संख्या

कॉर्पोरेट व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत

कार्यालय और प्रधान कार्यालय

परिसमापक का नाम, पता, ई—मेल पता,

दरभाष संख्या तथा पंजीकरण संख्या

दावे जमा करने की अन्तिम तिथि

तिथि: 07 अगस्त 2023

स्थान : नई दिल्ली

Place: Delhi

Date: 07.08.2023

(यदि कोई हो तो) का पता

कॉर्नरस्टोन सिक्योरिटीज लिमिटेड

पता : कार्यालय सं. 209-211ए, दूसरी मंजिल,

दिल्ली — 110092 (मेट्रो पिलर नंबर 35 के पास)

ईमेल : CSL.LIQUIDATION@GMAIL.COM

एच-17 / 18, लक्ष्मी पैलेस, लक्ष्मी नगर, विकास मार्ग,

पंजी. सं: IBBI/IPA-002/IP-N00305/2017-18/10863

परिसमापक, कॉर्नरस्टोन सिक्योरिटीज लिमिटेड

For Gogia Capital Services Limited

Satish Gogia

(DIN: 00932987)

Managing Director

जितें द्र अरोडा

रजिस्टारऑफ कम्पनीज-दिल्ली



Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

(केवल ई-नीलामी के माध्यम से विक्रय सी-1ए, सेक्टर-63, नोएडा दुरभाष: 0120-4314956

Where service is a way of life

08-09-2023 को 11.00 से 1.00 बजे तक अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसम्पित्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफॉएसि) अधिनियम 2002 (2002 का सं. 54) के अंतर्गत बैंक के पास बंधककृत अचल संपित्त का विक्रय। जबकि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने हमारी शाखाओं के पास अनुरक्षित निम्नलिखित ऋण खातों के अंतर्गत वित्तीय परिसंपित्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफॉएसि) अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुपालन में, बैंक की देयराशियों की वसूली के लिये निम्नलिखित संपित्ति / संपित्तियों की ''जैसी है जहां है आधार तथा जैसी है जो है आधार'' पर बेचने के एक अधिकार के साथ उनका अधिग्रहण कर लिया था। विक्रय कार्यवाही, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइट : (https://www.bankeauctions.com) पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से संपन्न की जायेगी।

अचल संपत्तियों का विवरण

धरोहर राशि जमा (धराज) राशि तथा संपत्ति निरीक्षण की वृद्धिशील बोली प्राधिकृत अधारी ऋणकर्ता / गारंटर तथा शाखा का नाम आरक्षित धराज जमा खाता विवरण ई-नीलामी संपत्ति का विवरण मांग सूबना की स्थिति धराज जमा करने की अंतिम तिथि एवं की तिथि सूचना राशि समय मकान नंबर 81 / 2बी पुराना नंबर 228 / 10 गली नंबर 6 और 8 खाता सं.:— 15111100000170 08.09.2023 क रु. 10,000 / − 01.09.2022 ₹. 33,35,000/-शा.का.:- पल्लवपुरम मेरठ 21.08.2023 को 10.00 रु. 3,33,500/-श्री अविनाश नारायण सिंह खाता नाम – जेडओ नोएडा खसरा नंबर 204, 208, 194ए, 194बी और 109 का हिस्सा ग्राम (रुपये तैंतिस लाख (रुपये दस हजार उधारकर्ता – ललित कुमार, लक्ष्मी बागला, रु. 1388365.01 दिनांक (रुपये तीन लाख तैंतिस हजार पांच 11.00 से मोबाइल - 9041620625 खाता ई–नीलामी सुशीला देवी, अमित कुमार और भावना रानी, पैंतिस हजार मात्र) 01.00 बजे 31.08.2022 के अनुसार प्लस सौ मात्र) 07.09.2023 को 4 बजे तक इमेल – avnish.singh@psb.co.in लाभार्थी का नाम- पंजाब एण्ड सिंध कसमपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, सुशीला देवी, लक्ष्मी, ललित इस राशि पर भावी ब्याज, व्यय आईएफएससी कोड -कुमार एवं अमित कुमार के नाम पर, क्षेत्रफल- 107.02 वर्ग मीटर - सतीश कुमार एवं अन्य शुल्क, इत्यादि PSIB0021511 शा.का.: – अट्टा नोएडा खाता सं.:- 15111100000170 फ्लैट नं. 302 प्रथम तल छताधिकार के बिना आशू अपार्टमेंट में प्लॉट 06.10.2015 रु. 23,00,000/-₹. 2,30,000/-रु. 10,000 / − सुश्री आंचल नायर भौतिक 08.09.2023 को 21.08.2023 को 10.00 खाता नाम – जेडओ नोएडा (रुपये तेईस लाख उधारकर्ता – सुभाष मिश्रा गारंटर – रु. 3254075.20/- दिनांक (रुपये दो लाख तीस हजार मात्र) (रुपये दस हजार नंबर सी-14ए और सी-14सी, खसरा सं. 1146 में से, गली नं. 15 11.00 से से 12.00 बजे मोबाइल - 9896348777 खाता ई-नीलामी 06.10.2015 के अनुसार प्लस गजेंद्र मिश्रा और कंचन मिश्रा हिंडन यमुना सहकारी आवास समिति लिमिटेड हिंडन विहार ग्राम मात्र) 07.09.2023 को 4 बजे तक मात्र) 01.00 बजे ईमेल – anchal.nayar@psb.co.in लाभार्थी का नाम – पंजाब एण्ड सिंध इस राशि पर भावी ब्याज, व्यय बरोल सेक्टर 49 गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, जो सुभाष मिश्रा के आईएफएससी कोड – नाम पर है, जिसका क्षेत्रफल– 83.61 वर्ग मीटर है। एवं अन्य शुल्क, इत्यादि PSIB0021511 फ्लैट नंबर जी–5 भू तल छताधिकारों के बिना एलआईजी बैक साइड 02.01.2023 शा.का.: – कौशांबी गाजियाबाद रु. 17,59,500/-रु. 1,75,950/− खाता सं.:– 15111100000170 08.09.2023 व श्री अमित रंजन भौतिक 21.08.2023 को 10.00 रु. 10,000 / − प्लॉट नंबर 10/4 सेक्टर-3 राजिंदर नगर साहिबाबाद गाजियाबाद (रुपये सत्रह लाख खाता नाम – जेडओ नोएडा (रुपये एक लाख पिचहत्तर हजार नौ उधारकर्ता – गोपाल प्रसाद और भावना 11.00 से से 12.00 बजे रु. 1101618.76 दिनांक (रुपये दस हजार मोबाइल — 9528293810 खाता ई–नीलामी उनसठ हजार पांच उत्तर प्रदेश में, जो कि सौ पचास मात्र) 07.09.2023 को 4 गारंटर – सुशील कुमार चौहान 01.00 बजे ईमेल – amit.ranjan@psb.co.in 31.12.2022 के अनुसार प्लस मात्र) लाभार्थी का नाम – पंजाब एण्ड सिंध गोपाल प्रसाद एवं भावना के नाम पर है, जिसका क्षेत्रफल— 37.16 सौ मात्र) बजे तक इस राशि पर भावी ब्याज, व्यय आईएफएससी कोड – वर्ग मीटर है। एवं अन्य शुल्क, इत्यादि PSIB0021511 02.07.2021 रु. 25,10,000/-खाता सं.:– 15111100000170 शा.का.:– दिल्ली रोड मेरठ प्लॉट नंबर 53 और 55 के हिस्से पर स्थित फ्लैट नंबर एस-1 द्वितीय रु. 2,51,000/− 21.08.2023 को 10.00 रु. 10,000 / -08.09.2023 व श्री अविनाश नारायण सिंह खाता नाम – जेडओ नोएडा उधारकर्ता – सनोज कुमार और अनामिका (रुपये पच्चीस लाख (रुपये दो लाख इक्यावन हजार मात्र) 11.00 से (रुपये दस हजार से 12.00 बजे रु. 3121271.76 दिनांक मोबाइल - 9041620625 खाता ई–नीलामी गारंटर – सोनाली देवी दस हजार मात्र) 07.09.2023 को 4 बजे तक 01.00 बजे शीश महल मालवीय चौक मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित तथा सनोज मात्र) 01.07.2021 के अनुसार प्लस इमेल – avnish.singh@psb.co.in लाभार्थी का नाम – पंजाब एण्ड सिंध कमार के नाम पर है. जिसका क्षेत्रफल- 75.43 वर्ग मीटर है। इस राशि पर भावी ब्याज, व्यय आईएफएससी कोड – एवं अन्य शुल्क, इत्यादि PSIB0021511 खाता सं:- 15111100000170 रु. 19,55,000/-फ्लैट नंबर 31/2 ऊपरी भू तल छताधिकारों के बिना, प्लॉट नंबर 09.08.2021 रु. १,95,500/- (रुपये एक लाख 08.09.2023 क 21.08.2023 को 10.00 रु. 10,000 / -सुश्री उपमा दुरेजा शा.का.:- ग्रेटर नोएडा अल्फा सांकेतिक खाता नाम – जेडओ नोएडा (रुपये उन्नीस लाख पिचानबे हजार पांच सौ मात्र) 11.00 से (रुपये दस हजार 31 विक्रम एन्क्लेव ग्राम पसौंदा परगना लोनी तहसील मोबाइल - 9999507543 उधारकर्ता – जावेद और गुलशन खातून से 12.00 बजे रु. 2074163.94 दिनांक खाता ई–नीलामी पचपन हजार मात्र) गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित तथा जावेद और गुलशन खातून 07.09.2023 को 4 बजे तक 01.00 बजे मात्र) गारंटर – मोह. हारून 01.08.2021 के अनुसार प्लस ईमेल – upma.dureja@psb.co.in लाभार्थी का नाम – पंजाब एण्ड सिंध के नाम पर है. जिसका क्षेत्रफल-55.74 वर्ग मीटर है। इस राशि पर भावी ब्याज, व्यय आईएफएससी कोड – एवं अन्य शूल्क, इत्यादि PSIB0021511 नियम एवं शर्तेः

ई-नीलामी "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" आधार पर आयोजित की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार, यहां उपरोक्त वर्णित किसी भी संपत्ति पर कोई भारग्रस्तता नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी खकारों / बकायों के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई—नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी अभिवेदन को संस्थापित नहीं करता और संस्थापित करता हुँ माना जाएगा। संपत्ति को सभी मीजूदा और भविष्य के ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वह बैंक को ज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार किसी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों / बकायों के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं होंगे।

बोली जमा करने से पहले परिसंपत्तियों और विनिर्देशन के बारे में निरीक्षण करने और खुद को संतुष्ट करने के लिए बोलीदाताओं की अपनी जिम्मेदारी होगी। इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई—बोलीदान प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि के संबंध में सहायता की आवश्यकता है, वे हेल्पडेस्कः +91 - 7291981125, 7291981125, 7291981126, हेल्पलाइन ई—मेल आईडी. support@bankeauctions.com से संपर्क कर सकते हैं और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समय के दौरान प्राधिकृत अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

केवल वैध प्रयोक्ता आईडी / पासवर्ड रखने वाले और एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान की पुष्टि करनेवाले खरीदार ही ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

इच्छक बोलीकर्ता, जिन्होंने 07-09-2023 को अपराह 04:00 बजे से पहले ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपनी ईएमडी आरक्षित मुल्य के 10ः से कम नहीं जमा की है, ई-बोलीदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए वे ही पात्र होंगे। उपरोक्त संपत्तियों की ई-नीलामी बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोलीदान के माध्यम से प्रत्येक संपत्ति के सम्मुख उल्लिखित निर्धारित तिथि और समय पर आयोजित की जाएगी। बोलीदाता प्रत्येक संपत्ति के लिए ''बोली वृद्धि राशि'' कॉलम के तहत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपने प्रस्ताव में सुधार करेगा। यदि ई—नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट के अधिकतम असीमित विस्तार के अधीन)। ई—नीलामी प्रक्रिया के बंद होने पर जो बोलीदाता उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) जमा करता है, उसे सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा तथा इस आशय का एक संचार इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जारी किया जाएगा जो प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा।

सफल बोली लगाने वाले की बयाना राशि (ईएमडी) आंशिक बिक्री विचार के लिए रखी जाएगी और असफल बोली लगाने वालों की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। बयाना जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मुल्य की स्वीकृति पर तुरंत, पहले से भूगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए, बिक्री मुल्य का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और बिक्री मुल्य का शेष 75 प्रतिशत बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जैसा कि लिखित रूप में सहमित हुई है और केवल प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर निर्भर है। सफल बोलीदाता द्वारा भूगतान में चुक के मामले में, प्रस्ताव द्वारा पहले ही जमा की गई दावा /अधिकार

संभावित योग्य बोलीदाता ई-नीलामी की तारीख से पहले मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। न तो प्राधिकृत अधिकारी / बैंक और न ही मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड, किसी भी इंटरनेट नेटवर्क समस्या के लिए उत्तरदायी होंगे और इच्छुक बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ई-नीलामी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से अच्छी तरह से

सूसज्जित हैं। केता को लागू स्टांप शूल्क/अतिरिक्त स्टांप शूल्क/हस्तांतरण शूल्क, शूल्क आदि और किसी भी पूर्व और भविष्य के कारण सभी वैधानिक/गैर—सांविधिक बकाया, कर, दरें, मूल्यांकन शूल्क, शूल्क आदि का भूगतान वहन करना होगा। 10. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने या ई—नीलामी को स्थगित / निरस्त / समाप्त करने का पूर्ण अधिकार है।

11. बोलींदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियां जमा करने और ई—नीलामी में भाग लेने से पहले मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (https://www.bankeauctions.com) पर उपलब्ध ई—नीलामी के विस्तृत नियम और शर्तों को पढ़ लें। सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 15/30 दिवसीय सांविधिक विक्रय सूचना

उधारकर्ता / गारंटरों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे ई—नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज अनुषंगी व्ययों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान कर दें। भुगतान न कर पाने की स्थिति में संपत्ति की नीलामी कर दी जायेगी / उसे बेच दिया जायेगा और शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली ब्याज एवं लागत सिहत की जायेगी।

दिनांक : 07-08-2023, स्थान : नोएडा

www.readwhere.com 🔵 🍩 🥏